

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या-383 /2016/772/69-1-2016- 4(56)/2016
लखनऊ : दिनांक: २५ मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०) के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (स्कीम ऑफ शेल्टर फार अरबन होमलेस) के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु कार्यालय-ज्ञाप संख्या-833/69-1-14-14(104)/2013 दिनांक 23.05.2014 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया गया है।

2. उक्त समिति को योजनान्तर्गत निर्दिष्ट किये जा रहे शेल्टर होम्स के निर्माण कार्य की समीक्षा एवं संचालन व्यवस्था के साथ ही राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के सभी घटकों के क्रियान्वयन की प्रगति की नियमित समीक्षा करने हेतु अधिकृत किया जाता है। उक्त समीक्षा बैठक में मिशन के क्रियान्वयन में वैंकों से आ रही समस्याओं वे; त्वरित निस्तारण हेतु समन्वयक राज्यस्तरीय वैंकर्स समिति (SLBC) को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जायेगा।

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-383 /2016/772(1)/69-1-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०।
2. विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र०।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव/सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव/सचिव, वैसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

14. प्रमुख सचिव सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. निदेशक, स्थानीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य स्थानीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
18. समस्त नुस्ख विकल्प अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, 30प्र०।
20. समस्त नगरपालक, जिला उद्योग केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
21. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
22. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।
23. सहायक वेबस्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
24. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
१५/१२/२०८०
(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।